बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

आदेश

पी०–1/04–09–39–2022 पटना, दिनांक– 10/8/22

बिहार पुलिस हस्तक 1978 के अध्याय 33 (नियम 1052 से 1088 तक) में वर्दी एवं परिधान के संबंध में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। बिहार पुलिस हस्तक 1978 का नियम 1061(घ) स्पष्ट करता है कि कर्त्तव्य के दौरान सभी कोटि के पुलिसकर्मी/पदाधिकारी वर्दी धारण करेंगे।

02. बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 56 में उल्लेख है कि सभी पुलिस पदाधिकारी सदैव कर्त्तव्य पर समझे जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा सिपाही एवं समकक्ष कोटि से पुलिस निरीक्षक एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों को वार्षिक रूप से वर्दी भत्ता भी प्रदान किया जाता है।

03. पूर्व के कई अनुषांगिक आदेशों द्वारा भी वर्दी के रख–रखाव एवं सही ढ़ंग से धारण करने को लेकर दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय आदेश–सहपठित ज्ञापांक 361/पी0–1 दिनांक 09.07.2021 द्वारा पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वर्दी के सम्यक तरीके से रख–रखाव एवं पहनावे को लेकर विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। डी0 के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी छापामारी, गिरफ्तारी, पूछ–ताछ इत्यादि हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है, जिसका अंश निम्नवत है :–

" The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designations. The particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designation. The particular of all such personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register. "

इसी के अनुपालन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41B की उपधारा (a) में भी वर्णित किया गया है कि – "Every Police Officer while making an arrest shall - (a) bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification"

04. बिहार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–1424/डी0–2, दिनांक–26.12.1985 द्वारा निर्गत आदेश उपरोक्त वर्णित प्रासंगिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। तदनुसार इस आदेश को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

05. (क) बिहार पुलिस हस्तक के नियम–8 के अधीन बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित दिवसों यथा सोमवार एवं शुक्रवार को प्रभागों (विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, कमजोर वर्ग एवं मद्यनिषेध को छोड़कर) से जुड़े मुख्यालय के पदाधिकारी/कर्मी वर्दी धारण करेंगे।

(ख) विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, आर्थिक अपराध इकाई, मद्यनिषेध एवं कमजोर वर्ग अपने प्रभाग हेतु वर्दी के संबंध में बिहार पुलिस हस्तक के नियम 1061 (ड़) के अन्तर्गत विशिष्ट आदेश पर पुलिस महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर लें।

10/8/22
पुलिस महानिदेशक
बिहार

ज्ञापांक/पी०–1/04–09–39–2022/497 पटना, दिनांक– 10/8/22

<u>**प्रतिलिपि**</u> :–

1. सभी महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल/इकाई सहित)/समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/8/22
पुलिस महानिदेशक
बिहार

e-mail

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

शुद्धि–पत्र

पी०–1/04–09–39–2022 पटना, दिनांक– 10.08.2022

बिहार पुलिस मुख्यालय आदेश सहपठित ज्ञापांक 497/पी0–1 दिनांक 10.08.2022 के कंडिका–04 में अंकित तिथि **"26.12.1985"** के स्थान पर **"26.02.1985"** पढ़ा जाए।

02. उक्त आदेश के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

10/8

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना

ज्ञापांक/पी०–1/04–09–39–2022/498 पटना, दिनांक– 10.08.2022

प्रतिलिपि :–

1. सभी महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल/इकाई सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेल/इकाई सहित)/समादेष्टा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/8

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना